विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग

विज्ञापन संख्याः क्रमांकः टीपीआर 9118/Adhoc/SDM.JDM/2021/ 13019 दिनांक : 17 NOV 2021

" वरिष्ठ प्रारूपकार के 08 एवं कनिष्ठ प्रारूपकार के 14 रिक्त पदों पर आवश्यक/अस्थाई आधार पर (Urgent Temporary Basis) नियुक्ति"

राजस्थान नगर नियोजन अधीनस्थ सेवा नियम, 1974 के नियम 26 के प्रावधानान्तर्गत; नगर नियोजन विभाग के लिए निम्नांकित रिक्त पदों पर आवश्यक/अस्थाई आधार पर भर्ती हेतु आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। यह नियुक्तियां पूर्णतः आवश्यक/अस्थाई आधार (Urgent Temporary Basis) पर 06 माह की अवधि एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान किये जाने पर अतिरिक्त 06 माह की अवधि अथवा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड/विभाग द्वारा नियमित रूप से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए होगी एवं इससे किसी भी अभ्यर्थी को विभाग में नियमित नियुक्ति का अधिकार नहीं होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड/विभाग द्वारा चयनित अभ्यर्थी प्राप्त न होने की दशा में, उपरोक्त नियमों के प्रावधानान्तर्गत, उक्त आवश्यक/अस्थाई नियुक्ति की अवधि में कार्मिक विभाग एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त अभिवृद्धि की जा सकेगी। इन पदों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड /विभाग द्वारा नियमित चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर उक्त आवश्यक/अस्थाई नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

रिक्त पदों की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है :–

क.सं.	पद नाम	कुल रिक्त पद	UR				EWS				SC				ST				BC				MBC			
			सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
1.	वरिष्ठ प्रारूपकार	8	2	1	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
2.	कनिष्ठ प्रारूपकार	14	5	2	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–

दण्डवत आरक्षण (Horizontal Reservation) :–

1. वरिष्ठ प्रारूपकार :– निःशक्तजन– 1 (LD&CP{OL/OA}) भूतपूर्व सैनिक– 01
2. कनिष्ठ प्रारूपकार :– निःशक्तजन– 1 (LD&CP{OL/OA}) एवं भूतपूर्व सैनिक– 1

Abbreviations Used : Gen.- General, UR- Unreserved, EWS- Economically Weaker Sections, SC- Scheduled Castes, ST- Scheduled Tribes, BC- Backward Classes, MBC- More Backward Classes.
LD-Locomotor Disability, CP-Cerebral Palsy, OL-One Leg, OA-One Arm.

नोट :–

1. आवश्यक/अस्थाई नियुक्ति के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
2. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में इन पदों को सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
3. महिलाओं हेतु आरक्षित पदों पर चयन हेतु पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं।
4. विशेष योग्यजन/निःशक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिक के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
5. यदि कोई रिक्ति उपयुक्त निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भरी जा सकेगी।
6. भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्ति उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण खाली रहने पर इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी।
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव :–

1.वरिष्ठ प्रारूपकार

(i) Intermediate in Architecture or Diploma in Architectural Assistantship (Three Years' Course from a recognized institution.

OR

Polytechnic Diploma in Civil Draftsmanship with one year's experience as Draftsman in Town Planning/Architect's office.

OR

Draftsman Certificate (Civil) from National Council of Vocational Trade with three years' experience as Draftsman in Town Planning/Architect's office.

(ii) Working knowledge of Hindi written in Devnagari Script and knowledge of Rajasthani Culture.

2. कनिष्ठ प्रारूपकार

(i) Polytechnic Diploma in Civil Draftsmanship.

OR

Draftsman Certificate (Civil) from National Council of Vocational Trade with two years' experience as Tracer in Town Planning/Architect's office.

(ii) Working knowledge of Hindi written in Devnagari Script and knowledge of Rajasthani Culture.

देय नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration)	(1) वरिष्ठ प्रारूपकार :– रुपये 23,700/– प्रतिमाह (2) कनिष्ठ प्रारूपकार :– रुपये 18,500/– प्रतिमाह
आयु सीमा	दिनांक 01.01.2022 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष ।
राष्ट्रीयता	1. (क) भारत का नागरिक हो, या (ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या (ग) भूटान का प्रजाजन हो, या (घ) तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 01.01.1962 से पहले स्थाई रूप से बसने के विचार से भारत आया हो, या (ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति है, जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, म्यांमान, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्व का टंगानिया, जंजीबार, जाम्बिया, मालाबाई, जैर तथा इथोपिया) से भारत आया है। नोट :– वर्ग (ख), (ग), (घ) और (ङ) से संबंधित प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह एवं न्यायिक विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। 2. अन्य देशों से भारत में आये व्यक्तियों की पात्रता की शर्तें :– राजस्थान नगर नियोजन अधीनस्थ सेवा नियम, 1974 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से अन्य देशों से भारत में आया हो, सेवा में भर्ती की पात्रता हेतु राष्ट्रीयता, आयु सीमा, और फीस या अन्य रियायतों संबंधी उपबन्ध ऐसे आदेशों या अनुदेशों द्वारा विनियमित होंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जायें और ऐसे आदेश या अनुदेश भारत सरकार द्वारा उस विषय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार, यथावश्यक परिवर्तन सहित, विनियमित किये जायेंगे।

विभिन्न वर्गों/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान

क्र.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियाँ	अधिकतम आयु में देय छूट
1.	Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	Five Years
2.	Woman Candidates belonging to General Category of Rajasthan State	Five Years
3.	Woman Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes,More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	Ten Years
4.	Widow and Divorcee Women **Explanation :** In the case of widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in case of divorcee, she will have to furnish the proof of divorce.	No Upper Age Limit

परन्तु :

1.	उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर substantive तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था। that the upper age limit mentioned above shall not apply in the case of an Ex-prisoner who had served under the Government on a substantive basis on any post before conviction] and was eligible for appointment under the rules.
2.	ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में, उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उसके द्वारा भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा बशर्ते कि वह दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था। that the upper age limit mentioned above shall be relaxable by a period equal to the term of imprisonment served in the case of Ex-prisoner, who was not overage before his conviction and was eligible for appointment under the rules.
3.	कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा में, उनके द्वारा, राष्ट्रीय कैडेट कोर में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि को शिथिल किया जायेगा यदि परिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो ऐसे अभ्यर्थी को विहित आयु सीमा में समझा जायेगा। that the upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the Service rendered in the National Cadre Corps in the case of Cadet Instructors and if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit.
4.	राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु यह कि शिथिलीकरण के पश्चात् यदि अनुज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी। According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules, 1988, relaxation in upper age limit shall be given ten years to Ex-servicemen. Provided that permissible age after relaxation work out to be more than 50 years then upper age limit of 50 years will be applicable.

नोट –

(1) उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(2) कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26–7–2017 एवं पत्र दिनांक 14–9–2017 के अनुसार यदि किसी आरक्षित वर्ग (SC/ST/BC/MBC/EWS) के अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे– आयु सीमा, अंक आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे सामान्य रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।

अन्य विवरण

आवेदन अवधि	निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र दिनांक 22.11.2021 से दिनांक 06.12.2021 सायंकाल 06:00 बजे तक कार्यालय में डाक/स्पीड पोस्ट/व्यक्तिशः पहुंच जाने चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया	1. आवेदन संलग्न निर्धारित प्रपत्र में स्वीकार योग्य होगा। 2. उक्त पदों हेतु आवेदन–पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट https://urban.rajasthan.gov.in/content/raj/udh/ctp/en/home.html पर आवेदन–पत्र भरने के सम्बन्ध में दिये गये विस्तृत विज्ञापन एवं अन्य विवरण का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेवें। तदुपरान्त ही अभ्यर्थी अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के पश्चात् आवेदन करें। 3. अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क का **Chief Town Planner, Rajasthan, Jaipur** के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संलग्न करना होगा। आवेदन शुल्क प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन निरस्त माना जावेगा। आवेदन शुल्क किसी भी स्थिति में आवेदक को रिफण्ड नहीं किया जायेगा। 4. आवेदक जिस श्रेणी के तहत् आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में आवेदन करें। 5. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर (Creamy Layer) श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक, सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। 6. उक्त प्रक्रियानुसार पूर्णरूप से भरा हुआ आवेदन–पत्र कार्यालय में निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ई–मेल अथवा फेक्स द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार योग्य नहीं होगा। 7. निरस्त किये गये आवेदन पत्र के अभ्यर्थी को किसी शुल्क की वापसी नहीं की जायेगी।
परीक्षा शुल्क	1. सामान्य वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु :– रुपये 800/– 2. राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक हेतु :– रुपये 500/– 3. समस्त निःशक्तजन, राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा जिनकी पारिवारिक आय 2.50 लाख से कम है, के आवेदकों हेतु – रुपये 300/–
चयन प्रक्रिया	राजस्थान नगर नियोजन अधीनस्थ सेवा नियम, 1974 के नियम 19 के प्रावधान्तर्गत नियुक्ति प्राधिकारी प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगा और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए अर्हित इतने अभ्यर्थियों से, जितने वह वांछनीय समझे, साक्षात्कार हेतु अपने समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा करेगा : परन्तु किसी अभ्यर्थी के पात्र होने या अन्यथा के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।
प्रायोगिक /साक्षात्कार प्रक्रिया	प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रारम्भिक स्तर पर जांच कर अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यताओं एवं प्राप्त अनुभव के आधार पर अंक प्रदान कर वरियता अनुसार रिक्तियों के 3 गुणा अभ्यर्थियों को प्रायोगिक परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। प्रायोगिक परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची विभाग की वेबसाईट पर अपलोड की जावेगी तथा चयनित आवेदकों को उनके द्वारा आवेदन पत्र में अंकित फोन/ईमेल पर भी दी जावेगी। अतः आवेदकों को निरन्तर विभागीय वेबसाईट को चैक करने की सलाह दी जाती है। कनिष्ठ एवं वरिष्ठ प्रारुपकार के पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों से निम्न विषयों में से प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है :– 1. मास्टर प्लान ड्रॉइंग्स यथाः– टाउन मैप, वर्तमान भू–उपयोग, प्रस्तावित भू–उपयोग, अरबन एरिया मैप इत्यादि की ड्राफटिंग एवं भू–उपयोग विश्लेषण। 2. योजनाओं के ले–आउट प्लान की ड्राफ्टिंग, भू–उपयोग विश्लेषण (Land Use Analysis) इत्यादि।

नोट :–

1– राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।

2– राज्य सरकार द्वारा सभी वर्ग के अभ्यर्थियों की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत लिये गये निर्णय के क्रम में जारी परिपत्र दिनांक 02–05–2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है, के लिए किसी भी भर्ती/परीक्षा/चयन में प्रवेश करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के समान ही आवेदक शुल्क देय होगा। उक्त लाभ राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों को ही देय होगा। राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के आवेदकों को सामान्य वर्ग हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा।

अति महत्वपूर्ण बिन्दु/नोट :–

1. अभ्यर्थी Application Form में अपना वही मोबाइल नम्बर व ई–मेल आई.डी. अंकित करें जिस पर वह परीक्षा इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS & Email के माध्यम से चाहता है। आवेदन में अंकित मोबाइल नम्बर व ई–मेल आई.डी. बदलने/बन्द होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएँ प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
2. कुल रिक्त पदों की संख्या में विभाग द्वारा किसी भी स्तर पर कमी/वृद्धि की जा सकती है।
3. आवेदक अपना आवेदन–पत्र ध्यानपूर्वक भरें। आवेदक अपना आवेदन–पत्र अन्तिम रूप से भरने से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही–सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आगे की कार्यवाही की जायेगी।
4. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो इसे अधिकारों का परित्याग माना जायेगा। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन–पत्र किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/अन्य वर्ग के अभ्यर्थी Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होकर आवेदक द्वारा आवेदन–पत्र में जो श्रेणी/वर्ग भरी/भरा गया है, उसी श्रेणी/वर्ग में ही मानकर कार्यवाही की जाएगी एवं अभ्यर्थी/आवेदक द्वारा जिस श्रेणी/वर्ग में आवेदन–पत्र भरा गया है उस संबंधित वर्ग/श्रेणी से संबंधित प्रमाण–पत्र/दस्तावेज यथा समय प्रस्तुत नहीं करने पर अभ्यर्थी/आवेदक का आवेदन–पत्र निरस्त/रद्द/पात्रता रद्द कर दी जायेगी/जायेगा।
5. आवेदक उक्त पद हेतु तभी आवेदन करें जब वह उक्त पद हेतु विज्ञापन में निश्चित निम्न व उच्च आयु सीमा के अन्तर्गत वांछित शैक्षणिक योग्यता संबंधित सम्पूर्ण मानदण्ड/मापदण्ड पूर्ण करता हो। साथ ही इस विज्ञापन में दी गई उक्त वांछित शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता एवं अनुभव को विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक के पास विज्ञापन में उल्लेखित अनुसार शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता का प्रमाण–पत्र होने पर ही पात्र माना जायेगा अन्यथा अपात्र माना जायेगा।

6. आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई निम्नतम आयु एवं अधिकतम आयु संबंधी छूट नहीं दी जायेगी।

नियुक्ति के लिए अयोग्यता :–

1. किसी भी ऐसे पुरुष/महिला अभ्यर्थी को जिसके एक से अधिक जीवित पत्नी/पति हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जायेगा।
2. किसी भी ऐसी महिला अभ्यर्थी को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जायेगा।
3. किसी भी विवाहित पुरुष/महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जायेगा, यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा। स्पष्टीकरण :– इस नियम के प्रयोजन हेतु दहेज से वही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिरोध एक्ट, 1961 (सेन्ट्रल एक्ट, 28 ऑफ 1961) में है।
4. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01–06–2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे/संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चों/सन्तानों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों/सन्तानों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहाँ किसी आवेदक के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा/सन्तान है, किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे/सन्तांनें पैदा होते है, वहाँ बच्चों/सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी। परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरूद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उपनियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं है तो उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो। तत्सम्बन्धी शपथ–पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा।
5. ऐसे अभ्यर्थी जो धूम्रपान या गुटखा सेवन करते हैं, वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

प्रमाण–पत्रों का सत्यापन :–

आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/अन्य) का लाभ तब ही देय होगा जब विभाग द्वारा उनके मूल दस्तावेजों से उनकी पात्रता की जाँच कर ली गई हो तथा दस्तावेज सही पाये गए हों। अतः पात्रता की जाँच हेतु दस्तावेज सत्यापन के समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जावे :–

1. जाति प्रमाण–पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो।
2. पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण–पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही–सही एवं पूर्ण भरी गई है। पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण–पत्र नियमानुसार नवीनतम जारी किये हुए होने आवश्यक हैं।
3. पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण–पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो।
4. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को Application Form में सामान्य वर्ग के आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिए।
6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. शैक्षणिक योग्यता साक्षात्कार दिनांक (साक्षात्कार का प्रथम दिवस) तक अर्जित होना आवश्यक है तथा शेष सभी जैसे– श्रेणी/वर्ग/जाति/आयु (आयु की गणना हेतु सैकण्डरी परीक्षा प्रमाण–पत्र), विकलांगता (सम्पूर्ण भारत वर्ष के किसी भी राज्य के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण–पत्र जिसमें निःशक्तता की श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख हो) एवं अन्यादि के अनुसार आवेदन–पत्र की अन्तिम दिनांक तक प्रमाण–पत्र होना आवश्यक है।
8. भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रावधान – राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17–04–2018 के अनुसार कोई व्यक्ति जो सेवानिवृत्त हो गया/गई है या आगामी एक वर्ष के भीतर–भीतर सेवानिवृत्त हो रहा है, सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त निराक्षेप प्रमाण पत्र (N.O.C.) के आधार पर अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु उसे विभाग द्वारा आयोजित साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व विभाग को सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक एफ–5(18)कार्मिक/क–2/84 पार्ट दिनांक 30–10–2017 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर के भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्ति में आरक्षण की व्यवस्था नही है। किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा राज्य के अधीन किसी भी लोक सेवा में नियोजन स्वीकार कर लेने के बाद वह भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपनी प्रास्थिति (Status) खो देगा और वह लोक सेवक के रूप में ही माना जाएगा अर्थात् भूतपूर्व सैनिक के रूप में देय आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त लोक सेवा के किसी पद पर पुर्नियोजन स्वीकार करते ही उसका भूतपूर्व सैनिक के रूप में कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकार सामान्यतः समाप्त समझा जावेगा परन्तु सीधी भर्ती के ऐसे पदों के संबंध में, जहां नियमों में निम्न पद का अनुभव भी निर्धारित किया गया है, किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा निम्न पद पर नियोजित होने के कारण, भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का अधिकार समाप्त हुआ नहीं समझा जाएगा।
9. शासन के परिपत्र क्रमांक प–6(19)गृह–13/2006 दिनांक 22–05–2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी विवाह प्रमाण–पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा।
10. आवेदक को अन्तिम शैक्षणिक संस्था का चरित्र प्रमाण–पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें चरित्र के सम्बन्ध में कम से कम अच्छा का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा।
11. आवेदक को अंतिम चयन उपरान्त आचरण सम्बन्धी पुलिस सत्यापन प्रमाण–पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के खिलाफ ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। साथ ही किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा।
12. आवेदक को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जाँच सम्बन्धी चिकित्सा प्रमाण–पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णरूप से स्वस्थ है एवं सेवा के लिए पूर्णतः उपयुक्त है।
13. यह नियुक्ति पूर्णतः आवश्यक/अस्थाई आधार पर 06 माह की अवधि एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान किये जाने पर अतिरिक्त 06 माह की अवधि अथवा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड/विभाग द्वारा नियमित रूप से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो तक के लिए होगी एवं इससे किसी भी अभ्यर्थी को विभाग में नियमित नियुक्ति का अधिकार नहीं होगा। आवेदक को इस आशय का शपथ–पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।

(आर.के.विजयवर्गीय)
मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार

नगर नियोजन विभाग

पताः– जे.एल.एन. मार्ग, बिड़ला मन्दिर के सामने, जयपुर–302004

वरिष्ठ प्रारूपकार/कनिष्ठ प्रारूपकार के पदों पर आवश्यक/अस्थाई आधार (Urgent/Temporary Basis) पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

नोटः– अभ्यर्थी अपने संवर्ग / श्रेणी का उल्लेख निम्न तालिका के संबंधित कॉलम में करें।

	UR				EWS				SC				ST				BC				नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो, फोटो पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	

1. (क) नाम हिन्दी में (बड़े अक्षरों में) श्री/श्रीमती/कुमारी ....

   (ख) नाम अंग्रेजी में (ब्लॉक लेटर में) Mr./Mrs./Miss..

2. जन्म दिनांकः अंकों मेंः–.................................शब्दों मेंः–..

   (हाई स्कूल/सैकण्डरी/हा.सै. के प्रमाण–पत्र के अनुसार)

3. विज्ञापन के अनुसार दिनांक 01.01.2022 (आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथी) को आयु :– वर्ष .... माह .... दिन ....

4. पिता/पति का नामः– ....

5. लिंगः– ....

6. उम्मीदवार की श्रेणीः–.............................

7. क्या आपकी पारिवारिक आय 2.50 लाख से कम हैं ?.........................

8. क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं ? ....

9. क्या आप विकलांग श्रेणी से हैं ? ....

10. क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं ? ....

11. (क) वर्तमान डाक का पूरा पता(मोबाईल नं. व ई-मेल आईडी सहित):-

....

....

(ख) स्थाई निवास का पताः- ....

....

12. शुल्क का विवरण (अभ्यर्थी स्वयं भरें)

बैंक का नाम	डीडी सं./बैंकर चैक सं.	दिनांक	राशि	
			रूपये	पैसे

कार्यालय प्रयोग हेतु

शुल्क रू. ....

प्राप्त हुआ तथा दिनांक

.... को जमा किया गया।

नोट :- निर्धारित आवेदन शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक Chief Town Planner, rajasthan, Jaipur के नाम होना चाहिए।

13. शैक्षणिक योग्यताऐं :-

परीक्षा जो उत्तीर्ण की हैं।	बोर्ड/ विश्वविद्यालय का नाम	संकाय का नाम	वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांकों का प्रतिशत	संलग्न प्रमाण पत्रों की नत्थी सं.
1	2	3	4	5	6	7
मैट्रिक/सैकण्डरी						
सीनियर सैकण्डरी						
शिक्षा में स्नातक						
अन्य कोई उपाधि/ डिप्लोमा/पी.जी.						

14. यदि आपने पहले कहीं कार्य किया हैं या कहीं कार्यरत हैं तो उसका प्रारम्भ से अब तक का विवरण नीचे दीजिए। (यदि स्थान कम रहें तो अलग से विवरण संलग्न करें) :-

पद का नाम	नियुक्ति अधिकारी का पद, नाम एवं विभाग	पद ग्रहण का दिनांक	पद छोड़ने का दिनांक	अस्थाई/ स्थाई	वेतनमान एवं वर्तमान मूल वेतन	संलग्न प्रमाण पत्र नत्थी संख्या

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार उपरोक्त सभी प्रविष्टियाँ सच्ची, पूर्ण और सही हैं।

दिनांक : .... आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

15. यदि कोई अन्य विशेष योग्यता/अनुभव प्राप्त हो और इस पद के चयन में सहायक हो तो उसका पूर्ण विवरण दें।

....

16. क्या आपको दण्डित, पदच्युत या ब्लैक लिस्ट किया गया है? यदि ऐसा है तो वह धारा जिसके अन्तर्गत दण्डित किया गया और जो दण्ड दिया गया उसे वर्णित करें।

....

आवेदक द्वारा हस्ताक्षरयुक्त घोषणा

मैं, भारत का/की नागरिक हूँ तथा मेरा निवास स्थान .... राज्य में है। मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है, इस आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ सत्य, पूर्ण एवं सही हैं। मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त सूचना यदि गलत या झूठी पाई जाये या चयन से पूर्व अथवा बाद में मेरी अपात्रता का पता चल जाए तो विभाग मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर सकता है।

स्थान : ....

दिनांक : ....

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

नाम : ....

पता : ....

....

प्रार्थना पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रतियां संलग्न करें।

(हाँ/नहीं में अंकित करें।)

दस्तावेजों का विवरण	हाँ/नहीं	यदि हाँ तो, संलग्क संख्या
जन्म-तिथि प्रमाण पत्र (सैकण्डरी का प्रमाण पत्र)।		
निर्धारित योग्यता की सभी वर्षों की अंकतालिकाऐं।		
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)।		
विवाह का पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि विवाहित हो तो)।		
कुल संतानों का शपथ पत्र (जन्म तिथि सहित) (मूल)।		
यदि किसी संस्था की अंकतालिका में अंक अंकित न होकर ग्रेड अंकित हैं तो प्रतिशत निकालने हेतु संस्था का प्रमाण पत्र।		
वर्तमान में यदि किसी विभाग में पदस्थापित हैं तो उस विभाग/संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र (मूल)।		
आपकी पारिवारिक आय 2.50 लाख से कम है।		
आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है।		
आप विकलांग श्रेणी से है।		
आप भूतपूर्व सैनिक है।		

नोट :-

1. अभ्यर्थी द्वारा समस्त अभिलेखों की स्व-प्रमाणित प्रति लगाया जाना अनिवार्य है, जिसके अभाव में उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जावेगी।

2. सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को अपने विभागाध्यक्ष से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भेजना आवश्यक है, इसके अभाव में आवेदक को साक्षात्कार की अनुमति नहीं दी जावेगी और उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जावेगी।

दिनांक : ....

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर